



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240418  
CG-DL-E-18112022-240418

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]  
No. 738]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

सं. 58/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 827(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 153 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (i) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“20क.	2601 11 21, 2601 11 22, 2601 11 41, 2601 11 42	सभी वस्तुएं	शून्य

20ग.	2601 11	क्र.सं. 20क में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं	30%
20घ.	2601 12	सभी सामान, लौह अयस्क छरों के अलावा	30%;

- (ii) क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "45%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 48 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 55 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 56 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 58 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "15%" के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"61क.	7219	600 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पाद	शून्य
61ख.	7222	स्टेनलेस स्टील के अन्य बार और छड़; स्टेनलेस स्टील के कोण, आकार और खंड	शून्य
61ग.	7227	अन्य मिश्र धातु इस्पात के अनियमित घाव कॉइल में बार और रॉड, हॉट रोल्ड,	शून्य";

2. यह अधिसूचना 19 नवम्बर, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 153 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 21 मई, 2022, जिसे सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 21 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2022

**No. 58/2022-Customs**

**G.S.R. 827(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011- Customs dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table,

- (i) after S. No. 20 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“20A.	2601 11 21, 2601 11 22, 2601 11 41, 2601 11 42	All Goods	Nil
20C	2601 11	All Goods, other than goods mentioned in S.No. 20A	30%
20D	2601 12	All Goods, other than iron ore pellets	30%”;

- (ii) against S. No. 23, in column (4), for the entry “45%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 48, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 54, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (v) against S. No. 55, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 56, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 57, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 58, in column (4), for the entry “15%”, the entry “Nil” shall be substituted;
- (ix) after S. No. 61 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“61A.	7219	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	Nil
61B.	7222	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	Nil
61C.	7227	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	Nil”;

2. This notification shall come into force on the 19<sup>th</sup> day of November, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2011 and last amended *vide* notification No. 29/2022-Customs, dated the 21<sup>st</sup> May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 21<sup>st</sup> May, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

सं. 59/2022-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 828(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में;

(1) क्रम संख्या 141क, 141 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 364घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ;

2. यह अधिसूचना 19 नवम्बर, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को, सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 56/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 नवम्बर, 2022 सा.का.नि. 798 (अ) दिनांक 01 नवम्बर, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

**No. 59/2022-Customs**

**G.S.R. 828(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section (3) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table,

(1) S. Nos. 141A, 141B and the entries relating thereto shall be omitted;

(2) S. No. 364D and the entries relating thereto shall be omitted;